US-89
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा
विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(7)/अता./ ता प्र.सं.89/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1303-05 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 89 मान्नीय विधायक श्री विशेष रवि दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री विशेष रवि

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 89

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम की, बैंक स्ट्रीट(भगवती मार्केट के पीछे) शैक्षणिक भूमि पर पार्किंग परियोजना आरंभ करने की कोई योजना है, जहाँ पहले से ही दो स्कूल हैं, जो कुछ समय से बंद हैं;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगमः–** बैंक स्ट्रीट और सरस्वती मार्ग से सटे स्थल के संबंध में मौजूदा दो एससी प्राइमरी स्कूलों को ध्वस्त करके और दोनों साइड प्लाटों को मर्ज करने के बाद मलटीलेवल पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव सी.ई.–।।।/ केबीजेड से नगर नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ था । तदानुसार, प्रस्ताव को विभाग द्वारा संसाधित किया गया था और वर्ष 2019 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था ।
ख	क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम 'लैंडयूज़' बदलने के लिए अधिकृत है अथवा उसके पास ऐसा करने की अनुमति एवं अधिकार है; यदि हाँ तो एतद्संबंधी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएँ; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त स्थल करोलबाग के ले–आउट प्लान के अनुसार आवासीय एवं सार्वजनिक सुविधा में आता है । एमपीडी–2021 के खंड संख्या 12.14.1 के अनुसार पार्किंग सभी उपयोग क्षेत्रों में अनुमत उपयोगिताओं में से एक है इसलिए उक्त भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण अनुमत है । यह लेआउट योजना में एक संशोधन है जिसे स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है जो डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत सक्षम प्राधिकारी है ।
ग	यदि उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसके लिए अधिकृत नहीं है और उसने दि.वि. प्रा. से इसकी अनुमति ली है तो उस संबंध में संपूर्ण दस्तावेज उपलबध कराएँ?	उपरोक्तानुसार

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02